उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग
उत्तराखण्ड

विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों, कार्यालय ज्ञापों आदि का संकलन

संख्या– 66C /VI-2/2010–2 (1)/2009

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

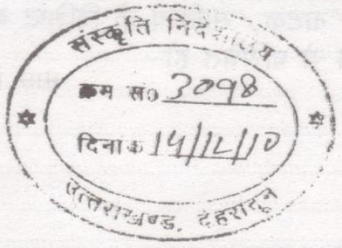

संस्कृति निदेशालय
क्रम सं० 3098
दिनांक 14/12/10
उत्तराखण्ड, देहरादून

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति, खेलकूद पर्यटन अनुभाग–2 : देहरादून दिनांक : 08 नवम्बर (दिसम्बर) 2010

विषय :–पुस्तक प्रकाशन हेतु लेखकों को सहायता प्रदान किए जाने के सम्बंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–338/स.नि.उ./तृतीय–108/2010–11 दिनांक–3–6–2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के सम्बंन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकारों, कवियों की कृतियां जो धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाती है, ऐसे साहित्यकारों, लेखकों, कवियों को उनकी कृतियों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. प्रदेश के ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार, लेखक, कवि जो लेखन के क्षेत्र में सतत रूप से सकिय हैं, तथा कार्य करते आ रहे हैं, किन्तु धनाभाव के कारण जनोपयोगी उनकी कृति प्रकाशित नहीं हो पा रही हों, ऐसी जनोपयोगी स्तरीय अप्रकाशित कृतियों को प्रकाशित कराये जाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

2. कृतियों के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु निदेशालय स्तर पर निदेशक संस्कृति की अध्यक्षता में लोक संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में विद्वतजनों की एक समिति, गठित की जायेगी, जिसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा कुमाऊं विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों के साथ ही संस्कृति निदेशालय के वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारी को सम्मिलित किया जायेगा।

3. समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा, जिसमें साहित्यकारों, लेखकों तथा कवियों से उनकी स्वरचित अप्रकाशित कृति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जायेगा।

4. समिति की बैठक आयोजित कर प्राप्त कृतियों को समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा, तथा जिन कृतियों को समिति द्वारा चयनित किया जायेगा, उनके प्रकाशनार्थ सम्बन्धित साहित्यकार लेखक एवं कवि को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

पुस्तक प्रकाशनार्थ दी गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र साहित्यकार द्वारा निदेशालय को]लब्ध कराना होगा तथा उपभोग प्रमाण–पत्र के साथ प्रकाशत कृति की 10 प्रतियां निदेशालय को उपलब्ध]नी होगी।

प्रकाशित कृति पर पूर्ण स्वायत्ताधिकार संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड का होगा तथा प्रकाशित कृति के पृष्ठ पर (मुख पृष्ठ) मुद्रित किया जाना अनिवार्य होगा।

पुस्तक प्रकाशन हेतु प्रदेश के मूल निवासी तथा स्थाई निवासी साहित्यकार, लेखक व कवि को ही] सहायता प्रदान की जायेगी।

पुस्तक प्रकाशन हेतु संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने पर यदि पुस्तक की]ार में की जाती है, तो उक्त पुस्तक का मूल्य निर्धारण का अधिकार, संस्कृति विभाग के पास निहित]था विभाग द्वारा पुस्तक विकय किये जाने पर प्राप्त धनराशि राजकोष मे जमा की जायेगी। लेखक]दशा मे हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। लेखक को रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

सहायक निदेशक

9. मानक मद में धनराशि उपलब्ध होने पर ही विभाग द्वारा प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति प्रकाशित करवायी जायेगी, व पुस्तक प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
10. प्रति वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ही आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
11. ऐसी कृतियों के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी, जो राष्ट्र तथा समाज में वैमनस्य की भावना पैदा करें।
12. पूर्व में प्रकाशित कृति हेतु आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।
13. संस्कृति के प्रचार–प्रसार, संवर्द्धन तथा प्रदेश की दूर–दराज की संस्कृति को उजागर करने वाली कृतियों का प्रकाशन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।
14. आर्थिक सहायता का भुगतान कोषागार चैक अथवा बैक ड्राफ्ट के माध्यम से लेखक को उपलब्ध कराया जायेगा।
15. किसी भी साहित्यकार, लेखक, कवि को एक कृति प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने पर कम से कम पांच वर्ष बाद अन्य कृति के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
16. प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित मद में प्राविधानित बजट के अन्तर्गत रू0 2.00 लाख की सीमा तक आर्थिक सहायता प्रदान करने की संस्तुति यदि समिति स्तर से की जाती है, तो ऐसा अनुदान स्वीकृत करने हेतु निदेशालय सक्षम होगा। यदि इस सीमा के अधीन रहते हुए भी कृतियों को आर्थिक सहायता देने की सीमा प्राविधानित बजट से अधिक होती है, तो इस स्थिति का निराकरण शासन स्तर पर ही किया जायेगा।
17. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–338 (पी)/वित्त–3/2010 दिनांक–29 नवम्बर, 2010 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहें हैं।

भवदीय

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या– /VI–2/2010/दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग/सूचना विभाग/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव